

नवंबर 2020

लखनऊ विश्वविद्यालय का शताब्दी स्थापना दिवस समारोह

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 नवम्बर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी (100th) स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया।
- प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय का शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय डाक द्वारा जारी विशेष स्मारक डाक टिकट और उसके विशेष कवर का भी विमोचन किया।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता

- पीलीभीत टाइगर रिजर्व (PTR) और उत्तर प्रदेश वन विभाग को बाघों की संख्या को दोगुना करने के 10 वर्षों के लक्ष्य को मात्र चार वर्षों में हासिल करने के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार "TX2" प्रदान किया गया है।
- PTR सभी 13 बाघ रेंज देशों में पुरस्कार जीतने वाला पहला है।
- इस लक्ष्य को 2014 से केवल चार साल में हासिल किया, जब इसमें 25 बाघ थे जो 2018 में 65 हो गए।

- **नोट:** बाघों की आबादी को दोगुना करने का वैश्विक लक्ष्य 2010 में TX2 अवार्ड-UNDP, ग्लोबल टाइगर फोरम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ़ नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, कंज़र्वेशन एशियोर / टाइगर स्टैण्डर्ड्स और द लाईन्स शेयर द्वारा निर्धारित किया गया था।
- अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जुलाई को हर साल मनाया जाता है।
- 13 बाघ श्रेणी के देश भारत, भूटान, बांग्लादेश, चीन, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, मलेशिया, नेपाल, रूस, वियतनाम और थाईलैंड हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने विधि विरुद्ध धर्म सम्परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 जारी किया

- हाल ही में, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अवैध धार्मिक परिवर्तनों एवं “कन्या का धर्म परिवर्तन कर अंतर- धार्मिक विवाह करना” पर रोक लगाने हेतु 10 वर्षों की जेल सजा का प्रावधान किया है
- “उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020” (अवैध धार्मिक परिवर्तन पर रोक), कन्या का धर्म परिवर्तन कर अंतर- धार्मिक विवाह करना के उद्देश्य से की जा रहे विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाएगा
- यदि कोई व्यक्ति कानून उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उसे 10 वर्ष की कारावास की सजा दी जाएगी
- यदि ऐसा पाया जाता है कि धर्म परिवर्तन जबरन तरीके से करवाया गया है, तो उसे गैर-जमानती जुर्म माना जाएगा

- प्रस्तावित कानून में 1 से 5 वर्षों की कारावास की सजा, और न्यूनतम 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यदि यह जुर्म अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा नाबालिग महिला के विरुद्ध किया जाता है तब उस व्यक्ति को 3 से 10 वर्ष की कारावास की सजा, और न्यूनतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
- जबरन या धोके से किये गए सामूहिक परिवर्तन होने पर 3 से 10 वर्षों की कारावास की सजा, और न्यूनतम जुर्माना 50,000 रुपये होगा.
- उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा एवं मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी कानून लाए जाएंगे

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान प्रसार द्वारा प्रकाशित 'sciencetoon' पुस्तक (बाय बाय कोरोना) का लोकार्पण किया

- यह पुस्तक CSIR-सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट (CDRI), लखनऊ के पूर्व वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक प्रदीप श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है।
- **नोट:** पुस्तक में COVID-19 महामारी पर व्यापक जानकारी है।
- 'साइंटून' विज्ञान पर आधारित एक कार्टून संचार है।